

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 29/09/2025

सेवा में,

**पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर**

**अपर पुलिस महानिदेशक,**

**वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।**

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 28.09.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

**01. शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं/बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत जनपद के थाना जंगीपुर पुलिस द्वारा 01 परिवार में चल रहे विवाद का निस्तारण कर पति-पत्नी को साथ रहने हेतु सहमत किया गया ।**

अवगत कराना है कि थाना जंगीपुर अंतर्गत दिनांक 26.09.2025 को प्रार्थना पत्र आवेदिका का प्राप्त हुआ जिसमें आवेदिका द्वारा वर्णित किया गया कि मेरे पति रामेश्वर राम पुत्र स्व0 अच्छेलाल निवासी ग्राम अड़िला थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर आये दिन दारु पीकर मुझे मारते पीटते थे और मुझसे पैसा मांगते थे और मुझसे दहेज में पैसे की मांग करते थे । विवाद के सम्बन्ध में हम दोनों पक्षों ने परिवार एवं गाँव के सम्भ्रांत व्यक्तियों की उपस्थिति में समझौता करने का प्रयास किया गया परन्तु आपसी सहमति न बन पाने के कारण मामले का निस्तारण नहीं हो सका । इसके बाद मैंने उक्त विवाद के सम्बन्ध में थाना जंगीपुर में जाकर प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें हम दोनों पक्षों को दिनांक 28-09-25 को बुलाया गया एवं थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी,(मिशन शक्ति टीम प्रभारी )उ0नि0 श्री जमालुद्दीन, महिला आरक्षी अपर्णा सिंह, महिला आरक्षी प्रियंका शुक्ला, आरक्षी सौरभ यादव, का0 विपिन नायक (मिशन शक्ति केन्द्र टीम) के द्वारा हम दोनों पक्षों (पति – पत्नी) को बुलाकर सामाजिक और पारिवारिक महत्व को समझाते हुए कई स्तर पर समझाया – बुझाया गया । काफी समझाने बुझाने के पश्चात यह फैसला लिया गया कि हम दोनों पति पत्नी भविष्य में पारिवारिक बात को लेकर कभी विवाद नहीं करेंगे एवं मेरे पति शराब नहीं पीएंगे और परिवार का भरण- पोषण अच्छे से करेंगे एवं दहेज की मांग नहीं करेंगे । तत्पश्चात वीडियोग्राफी करते हुए हम दोनों पक्षों को एक साथ रहने की अनुमति प्रदान की गई ,हम दोनों लोग आपस में एक साथ रहने का पुनः संकल्प लेते हैं जिसमें थाना जंगीपुर के मिशन शक्ति केंद्र के लोगों का शुक्रिया अदा किया गया।

**02- मिशन शक्ति-05" उ0प्र0 शासन के आदेशानुसार महिला सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति" अभियान फेज-05 के अंतर्गत आज दिनांक 28.09.2025 को थाना जंगीपुर पुलिस टीम द्वारा महिलाओं/बालिकाओं पर अश्लील/अभद्र टिप्पणी करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**  
अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 28.09.2025 को मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के क्रम में उ0नि0 शिवप्रसाद पाण्डेय मय हमराह द्वारा जंगीपुर बाजार के पास बालिकाओ पर अभद्र टिप्पणी करने वाले 01 नफर अभियुक्त विनय पासवान पुत्र चन्द्रभान पासवान निवासी हसनापुर थाना जंगीपुर गाजीपुर उम्र करीब 19 जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार कर मु0अ0स0 186/25 धारा 296 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम :-**

विनय पासवान पुत्र चन्द्रभान पासवान निवासी हसनापुर थाना जंगीपुर गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष

पुलिस अधीक्षक  
गाजीपुर